समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोड्श बिहार विधान सभा का सप्तम सत्र दिनांक 21 अगस्त, 2017 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 25 अगस्त, 2017 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुई ।

दिनांक 21 अगस्त, 2017 को षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित 'आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016' को महामहिम राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु संदेश के साथ वापस किया गया जिसे आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 12 (बारह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति को प्रभारी मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा सदन पटल पर रखा गया । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । सत्र के दौरान कुल-05 (पाँच) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 23 अगस्त, 2017 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की माँग को सदन में प्रस्तुत किया गया जो गिलोटि्न (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 24 अगस्त, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई तथा शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में कुल- 89 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 87 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-46 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 38 स्वीकृत एवं 08 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र के दौरान कुल-78 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में कुल 11 (ग्यारह) राजकीय विधेयकों को सदन की स्वीकृति मिली

राजकीय विधेयक :-

(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017,
(2) बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017,
(3) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017,
(4) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017,
(5) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017,
(6) बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
(7) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017,
(8) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017,
(9) बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017,
(10) बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017,
(11) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को सदन की स्वीकृति मिली

सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।